(24)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

सा.का.नि.56.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय उप अग्निशमन सलाहकार भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अभिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में उप अग्निशमन सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

– अधिप्रमाणित
किरेन रीजीजू
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, उप अग्निशमन सलाहकार भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण वेतनमान–

पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं.- वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति–इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(28)

सलंग्नक–I

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप अग्निशमन सलाहकार	1 (2016)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड –3, 15600–39100 रूपये + ग्रेड वेतन 6600 रूपये	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन इंजीनियरी में बैचलर डिग्री; (ii) सुरक्षा/नागरिक अग्निशमन सेवा संगठन में सात वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

26

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/नगर निगमों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन स्वायत निकायों में अग्निशमन दल के ऐसे अधिकारी:- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने वेतन बैंड–3, 15600–39100 रुपये +ग्रेड वेतन 6600 रुपये या समतुल्य में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) जैसे ही सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएँ हैं। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंर्तगत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंर्तगत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (i) महानिदेशक (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड)– अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) गृह मंत्रालय – सदस्य (iii) महानिरीक्षक (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा) –सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

		श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

AUTHENTICATED BY
KIREN RIJIJU
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

[फा. सं. I-12011/1/2009-ए.डी.(सी.डी.)]
प्रशांत निकम, निदेशक

New Delhi, the 8th April, 2016

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Deputy Fire Adviser Recruitment Rules,1990, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Deputy Fire Adviser in the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement. -**

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Deputy Fire Adviser Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. -**

The number of post, its classification pay band and grade pay or pay scale attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.-**

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, have a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Annexure-I

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay/ pay scale	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Fire Advisor	1 (2016) * *Subject to variation . dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band 3, Rupees 15600-39100 with grade pay of Rupees 6600	Not applicable	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	**Essential:** (i) Bachelor degree in Fire Engineering from a recognised University; (ii) Seven years' experience in Defence/Civil Fire Service organisation.

					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman, and Nikobar Islands or Lakshdweep).	**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion	Period of probation	to be filled by Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies ∧ various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	One year for direct recruits	Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment	**Deputation (including short term contract):** Officers of the Fire Brigades in the Central Government/ State Governments/Municipal Corporations/Public Sector Undertakings or autonomous bodies under the direct control	Group 'A' Departmental Confirmation Committee. (i) Director General, (Fire Service, Civil Defence and	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

			of the Central/State Governments: - (a) holding analogous posts on regular basis or with five years' regular service in the scale in Pay band 3, Rupees 15600-39100 with grade pay of Rupees 5400 or equivalent; and (b) Possessing the qualifications for direct recruits as in column (7) **Note 1:** Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications) **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Home Guards) - Chairman (ii) Joint Secretary (Disaster Management) MHA – Member (iii) Inspector General, (National Disaster Response Force and Civil Defence) - Member	

[F. No.I-12011/1/2009-Ad(CD)]

PRASHANT NIKAM, Director